न्यायालय सिविल जज जू0डि0, मऊ, चित्रकूट।

मूलवाद संख्या– 145/2009

शिवकांची देवी बनाम जमुना प्रसाद आदि

06.11.2020–

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पक्षकार की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित आये। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र 60क1, 62ग1 व 63ग2 पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 62ग1 व 63ग2

वादी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र 62ग1 व 63ग2 इस आशय का दिया गया है कि इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 जमुना प्रसाद की मृत्यु दिनांक 14.01.2020 को हो चुकी है। कोरोना संक्रमण कार्य में न्यायालय कार्य बाधित होने के कारण वादिया द्वारा प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र समय से प्रस्तुत नही किया जा सका और विधिक प्रतिनिधि को स्थानापन्न कर पक्षकार नही बनाया जा सका, जिसके कारण उपशमन का नुक्स उत्पन्न हो गया है। प्रार्थना की गयी है कि प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाए तथा उपशमन को अपास्त किया जाए।

प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी मौखिक आपत्ति में अभिकथन किया गया है कि वादी पक्ष द्वारा जानबूझकर विलम्ब किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 14.01.2020 को होना कहा गया है। माह मार्च में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय बंद रहा है। वादी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र में दिए गए आधार पर्याप्त है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र 62ग1 व 63ग2 स्वीकार किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र 60क1 प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा उत्पन्न उपशमन को अपास्त किया जाता है।

(सुमित कुमार)
सिविल जज जू0डि0
मऊ, चित्रकूट।
आई0डी0 नं0– यू0पी02315

निस्तारण प्रार्थना पत्र 60क1

प्रार्थना पत्र 60क1 वादी पक्ष द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 जमुना प्रसाद की मृत्यु दिनांक 14.01.2020

को हो चुकी है। मृतक के वारिस उसकी पत्नी चुनकी देवी व पुत्रगण अरुण कुमार व अशोक कुमार हैं। जिनको प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर स्थानापन्न किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना की गयी है कि वाद पत्र में संशोधन कर प्रतिवादी संख्या 1 को कोष्टक में घेरकर उस स्थान पर मृत दौरान मुकदमा अंकित किए जाने तथा उस स्थान पर 1/1 श्रीमती चुनकी देवी आयु 66 वर्ष पत्नी स्व0 जमुना प्रसाद, 1/2 अरुण कुमार उर्फ पप्पू आयु 48 वर्ष पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद व 1/3 अशोक कुमार उर्फ मुन्ना आयु 50 वर्ष पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद, निवासीगण ग्राम मऊ, तहसील मऊ, जिला चित्रकूट अंकित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी आपत्ति में कहा गया है कि अरुण कुमार व अशोक कुमार पहले से ही पक्षकार मुकदमा है। इसलिए इनके संबंध में प्रार्थना पत्र स्वीकार न किया जाए।

वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अशोक कुमार व अरुण कुमार पहले से ही प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के रूप में पक्षकार मुकदमा है। अतः इनके संबंध में प्रार्थना पत्र औचित्यहीन है। मृतक प्रतिवादी की पत्नी चुन्नी देवी को प्रतिस्थापित कर संशोधन के माध्यम से वादपत्र में लाया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र 60क1 आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 60क1 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र में याचित संशोधन में से प्रतिवादी संख्या 1 को कोष्टक में घेरकर उस स्थान पर मृत दौरान मुकदमा अंकित किए जाने व उस स्थान पर 1/1 श्रीमती चुनकी देवी आयु 66 वर्ष पत्नी स्व0 जमुना प्रसाद, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मऊ, जिला चित्रकूट अंकित किए जाने के संबंध में स्वीकार किया जाता है तथा शेष याचित अनुतोष के संबंध में अस्वीकार किया जाता है। वादी संशोधन अविलम्ब तरमीम करें। नए प्रतिस्थापित प्रतिवादी को नियमानुसार नोटिस/सम्मन जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त जवाबदावा/साक्ष्य दिनांक 11.12.2020 को पेश हो।

(सुमित कुमार)
सिविल जज जू0डि0
मऊ, चित्रकूट।
आई0डी0 नं0– यू0पी02315